केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
के अधीन एक स्वायत संगठन)
शिक्षा केन्द्र'' 2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, दिल्ली–110301

समन्वय/ईसी–10.04.2013 दिनांक: 22.07.2013

अधिसूचना

विषयः परीक्षा उपविधियों में संशोधन/परिवर्धन

शासी निकाय द्वारा दिनांक 28.06.2013 को अपनी बैठक में 10.04.2013 को हुई परीक्षा समिति की सिफारिशों का विधिवत् अनुसमर्थन किए जाने के अनुसरण में परीक्षा उपविधियों में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किये गए हैं:–

1. **मुख्य गोपनीयता अधिकारी/गोपनीयता अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नियम 50(ii) में संशोधन**

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
प्रत्येक मुख्य गोपनीयता अधिकारी ऐसे व्यक्तियों, जो उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, का अपना दल अभिनिर्धारित करेगा। ऐसे व्यक्ति कम से कम कॉलेज में लेक्चरर रैंक के होंगे।	प्रत्येक मुख्य गोपनीयता अधिकारी ऐसे व्यक्तियों, जो उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, का अपना दल अभिनिर्धारित करेगा। ऐसे व्यक्ति कम से कम कॉलेज में लेक्चरर रैंक के अथवा किसी विद्यालय के सेवानिवृत प्रधानाचार्य होंगे।

2. **परीक्षा अवधि में परिशिष्ट–1 के रूप में दिए गए स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के प्रारूप के नीचे दी गई टिप्पणी में संशोधन**

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
स्थानांनतरण प्रमाणपत्र केवल नियमित प्राचार्य/उपप्रचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए और इस पर ऐसे अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा उपनिदेशक/शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो। यदि कोई विद्यार्थी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध दूसरे विद्यालय में अंतरण चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी के पिछले विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाणपत्र भारत में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त अथवा उपनिदेशक, नवोदय विद्यालय समिति अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय स्थित बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और भारत से बाहर स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध विद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण	स्थानांनतरण प्रमाणपत्र केवल नियमित प्राचार्य/उपप्रचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए और इस पर ऐसे अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा उपनिदेशक/शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो। यदि कोई विद्यार्थी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध दूसरे विद्यालय में अंतरण चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी के पिछले विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाणपत्र भारत में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त अथवा उपनिदेशक, नवोदय विद्यालय समिति अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय स्थित बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और भारत से बाहर स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध विद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण

प्रमाणपत्र पर भारतीय दूतावास/उच्च आयोग के प्रथम सचिव/अताशे/सांस्कृतिक अताशे या उसके समकक्ष अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र के बिना विद्यार्थी को विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाएगा। महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित विद्यालयों द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भी प्राधिकृत किया गया है।	प्रमाणपत्र पर भारतीय दूतावास/उच्च आयोग के प्रथम सचिव/अताशे/सांस्कृतिक अताशे या उसके समकक्ष अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। सेना कल्याण शिक्षा समिति को भी उनके द्वारा संचालित विद्यालयों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसे प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र के बिना विद्यार्थी को विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाएगा। महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित विद्यालयों द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भी प्राधिकृत किया गया है।

(एम.सी. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपीः

1. बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं के प्रमुख
2. निदेशक, शिक्षा, संघ शासित प्रदेश, दिल्ली, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
4. सचिव, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएफएफ, ईएसएस प्लाज़ा, सेक्ट.–3, रोहिणी, दिल्ली–110085
5. अतिरिक्त महानिदेशक, आर्मी शिक्षा महानिदेशालय, ए–विंग, सेना भवन, डीएचक्यू–पीओ, नई दिल्ली
6. उपनिदेशक (शिक्षा), सीमा सुरक्षा बल, ब्लॉक–10, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
7. सचिव, एडब्ल्यूईएस, आर्मी मुख्यालय, एडजूटेंट जनरल ब्रांच, सीडब्ल्यू–4, आर्मी वेलफेयर शिक्षा समिति, वेस्ट ब्लॉक सं. 3, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110022
8. सचिव एवं निदेशक शिक्षा, सिक्किम सरकार, गैंगटोक (सिक्किम) – 737101
9. शिक्षा निदेशक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर–744101
10. स्कूली शिक्षा निदेशक, अरूणाचल प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, इटानगर–791111, अरूणाचल प्रदेश
11. निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति, ए–28, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली–110048
12. निदेशक जन अनुदेशन, चण्डीगढ़ प्रशासन, सेक्ट.–9, चण्डीगढ़–160017
13. सीबीएसई के सभी विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी
14. अध्यक्ष के वैयक्तिक सचिव, सीबीएसई
15. क्षेत्रीय निदेशक, सीबीएसई, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, दिल्ली
16. क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई अजमेर, पंचकूला, गुवाहाटी, चेन्नई, इलाहाबाद, भुवनेश्वर एवं पटना
17. शैक्षणिक एकक, सीबीएसई के सभी एसोसियट प्रोफेसर तथा अतिरिक्त निदेशक
18. उपसचिव (आईटी), सीबीएसई को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर डलवा दें
19. सीबीएसई के सभी एसोसियट प्रोफेसर तथा अतिरिक्त निदेशक को इस अनुरोध के साथ कि परिपत्र को सेनबोसेक के आगामी संस्करण में छपवाएं।
20. जनसम्पर्क अधिकारी, सीबीएसई, दिल्ली

(एम.सी. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक